झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2016.

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथासशोधित 14 नवम्बर, 2000 तक) की धारा–6 का संशोधन।

3. व्यावृत्ति।

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–(1)** यह अधिनियम झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित 14 नवम्बर 2000 तक) की धारा–6 का संशोधनः –**

(i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा–6 की उप धारा–(1) का खंड–(ग) विलोपित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा–6 की उप धारा–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

"(2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्त्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

3. **व्यावृत्ति :–** झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 **(यथा संशोधित 14 नवम्बर 2000 तक)** की धारा–6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा–6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

* * *

यह विधेयक झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 16 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 16 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 2--50--6-4-2016